न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 290/2026

1. मौहम्मद शाकिर पुत्र श्री मौहम्मद मजहर, उम्र करीबन 44 साल, निवासी एल-52/40, गली नंबर-7/4, न्यू उस्मानपुर, गौतम विहार, पुलिस थाना न्यू उस्मानपुर, जिला उत्तर पूर्व दिल्ली

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---विपक्षी

द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109/2024, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दंड संहिता व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री अभिमन्यु सिह चौहान, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।
3- परिवादी कमलेश कुमार शर्मा स्वयं उपस्थित।

आ दे श

दिनांकः 16.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त मौहम्मद शाकिर की ओर से जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109/2024 पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी कमलेश कुमार शर्मा ने एक परिवाद पुलिस अधीक्षक, अलवर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उसके पास जनवरी, 2023 से वाटसएप पर अलग-अलग नंबर से मैसेज आते थे व उससे उनके साथ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग करके अच्छा रिटर्न निकाल कर देने की बात कही थी। इस दौरान उसे ARC Trade नाम की एप व डिटेल्स भेजी गई, जिसमें उसने डेमो आई.डी. व पासवर्ड दिये, फिर उसे पैसे जमा करवाने के लिए कहा। उसने पैसे उनको देना शुरू किया, वे कई बार कॉल और मैसेज कर

पैसे एड करने की कहते थे। उसने दिसंबर माह, 2023 में पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि पैसे डालो, फिर उसने पैसे डालने से मना कर दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में उसके पैसे रिटर्न अकाउण्ट में डाल देंगे और वे टालमटोल करते रहे। उसे जानकारी हुई कि ये फ्रॉड है। इस ट्रेडिंग प्लेटफार्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न ही कोई लाईसेंस है। उसके साथ बहुत बडा धोखा और ठगी की गई है.....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109/2024 अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 15.02.2026 को गिरफ्तार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2026 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता नोट-प्रेस किए जाने के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में जो राशि जमा कराना बताया गया है, वह समस्त राशि परिवादी ने वापस प्राप्त कर ली है। प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ कोई राशि बकाया नहीं है। परिवादी ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसमें प्रार्थी/अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ARC Trade के नाम से एप में पैसे डालकर इन्वेस्टमेंट व ट्रेडिंग कर, अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का प्रलोभन देकर राशि जमा कराकर धोखाधडी करना बताया है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के सह-अभियुक्त मौहम्मद वाजिद, शकीला बानो, मुस्कान, रूबीना, गुलवाज परवीन को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह-अभियुक्त से भिन्न नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर साईबर अपराध में लिप्त रहते हुये ARC Trade के जरिये एप्प बनाकर लोगों को प्रलोभन देकर, उनसे भारी मात्रा में राशि प्राप्त करने संबंधी गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विभिन्न खातों के जरिये पैसे प्राप्त करने का मामला है तथा

कुछ राशि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में भी अंकित होना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त साईबर फ्रॉड के अपराध में लिप्त रहे हैं। वर्तमान में इस तरह के अपराध दिनोंदिन बढते जा रहा है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- परिवादी कमलेश कुमार शर्मा ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कथन किया है कि पूर्व में उसने अभियुक्तगण से उसके द्वारा दी गई राशि में से कुछ राशि अवश्य प्राप्त की थी, परंतु आज भी अभियुक्तगण की ओर से 96,055/-रूपये बकाया है, जो अभियुक्तगण ने अदा नहीं किए हैं।

7- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुये, परिवादी के साथ छल कारित करने व परिवादी को बेईमानी से उत्प्रेरित कर, आपराधिक न्यास भंग कारित करने संबंधी धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दंड संहिता व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट के आरोप हैं। केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी के यू.पी.आई. में 96,500/-रूपये अंतरित किए जा चुके हैं, इस प्रकार परिवादी को समस्त राशि की अदायगी की जा चुकी है, जिसे परिवादी ने स्वीकार भी किया है। प्रकरण के अन्य सह-अभियुक्तगण मौहम्मद वाजिद, शकीला बानो, मुस्कान, रूबीना, गुलवाज परवीन को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 15.02.2026 को गिरफतार किया जाकर, वह विगत 01 माह से निरंतर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः मामले के उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए, प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-**आदेश**-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त मौहम्मद शाकिर पुत्र श्री मौहम्मद मजहर की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर, आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपए का मुचलका एवं पचास-पचास हजार रूपए की दो जमानतें

पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर